



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224096  
CG-DL-E-01012021-224096

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4201]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2020/पौष 10, 1942

No. 4201]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2020/PAUSHA 10, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2020

**का.आ. 4790(अ).**—केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को तालाबीरा 2 और 3 आवंटित कोल ब्लॉक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए क्रम संख्या 1 से 3 के सामने भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2063, तारीख 21 जून, 1988 के उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन के संबंध में लागू होने में छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

- (i) उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों में लगे कर्मकारों के हित संरक्षित हों;
- (ii) ऐसे कर्मकार को कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सिफारिशों के अनुसार और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर मजदूरी और अन्य प्रसुविधाएं दी जाएं;
- (iii) केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड को यह सुनिश्चित करने और जांच करने के लिए प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा कि क्या कोई एनएलसी इंडिया लिमिटेड में ऐसे कर्मकारों को ऐसी मजदूरी और प्रसुविधाएं दी जाती हैं;
- (iv) एनएलसी इंडिया लिमिटेड का प्रबंध यह सुनिश्चित करेगा कि जब कभी संविदा में कोई परिवर्तन होता है, तो विद्यमान ऐसे संविदा कर्मकार को, जो कार्यरत हैं, कर्तव्यों का अनुपालन में समाधानप्रद के अध्यक्षीन रहते हुए आने वाले संविदाकार

द्वारा नियोजन में अधिमान दिया जाएगा;

(v) उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 2063, तारीख 21 जून, 1988 की अनुसूची के क्रम संख्या 1 से 3 के सामने विनिर्दिष्ट कोयला खनन संकर्म पर प्रासंगिक या आनुसंगिक नौकरी में कार्यरत कर्मकार कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अवधारित और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार मजदूरी प्राप्त करेंगे;

(vi) संविदाकार, प्रधान नियोक्ता के साथ-साथ उक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति की मजदूरी की, जो प्रत्येक छह मास में बढ़ती है और खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार अन्य फायदे का भी संदाय सुनिश्चित करेगा;

(vii) संविदा कर्मकार, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39) के उपबंधों के अधीन आएंगे; और

(viii) संविदा कर्मकारों को खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) के उपबंधों के अनुसार मजदूरी सहित बोनस और छुट्टी दी जाएगी।

[फा. सं. एस-16012/01/2017-एल.डब्ल्यू]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2020

**S.O. 4790.(E).**—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Central Government, after consultation with the Central Advisory Contract Labour Board, hereby exempts Talabira II & III Coal Block allotted to the Neyveli Lignite Corporation (NLC) India Limited from the applicability of notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 2063 dated the 21<sup>st</sup> June, 1988, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), in respect of employment of contract labour in the works specified in the Schedule to the said notification against serial numbers 1 to 3, for a period of three years subject to the following conditions namely:-

- (i) the interest of the workmen engaged in the above mentioned works be protected;
- (ii) such workmen be paid wages and other benefits as per the recommendations of the High Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and the rates notified by the Coal India Limited from time to time;
- (iii) the Central Advisory Contract Labour Board will have the right to inspect the establishment to ensure and check whether such wages and benefits are given to such workers in NLC India Limited;
- (iv) the Management of NLC India Limited shall ensure that whenever there is a change of contract, existing contract workmen who are working may be given preference in employment by the incoming contractor, subject to satisfactory performance of duties;
- (v) the workmen working in jobs ancillary or incidental to coal mining works specified against serial numbers 1 to 3 of the Schedule to the said notification number S.O. 2063 dated the 21<sup>st</sup> June, 1988, shall get wages as determined by the High Powered Committee appointed by the Coal India Limited, Ministry of Coal, Government of India and the rates notified by the Coal India Limited from time to time;
- (vi) the contractor, as well as the Principal Employer, shall ensure payment of the said High Powered Committee wages, which increases every six months, and also other benefits as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952);
- (vii) the contract workers shall be covered under the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972); and
- (viii) the contract workers shall be paid bonus and leave with wages as per the provisions of the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

[F.No. S-16012/01/2017-L.W.]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.